



2026:RJ-JP:10516

[2026:RJ-JP:10516]



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 260/2017

Iffco- Tokio General Insurance Company Ltd. Through Its Constituted Attorney/authorized Signatory, Having Its Registered Office At 34, Nehru Place, 3Rd Floor, Iffco House, New Delhi And Having Its Office At A-13, Third Floor, Near Khatipura Turn, Hanuman Nagar, Vaishali Nagar, Jaipur Insurance Company Of Vehicle Truck No.rj 31-G-6939

----Appellant/Non Claimant No. 2

Versus

1. Banwari S/o Shri Gopilal, R/o Yakubganj, Teh. And Distt. Tonk

----Respondent/Claimant

2. Navdeep Kumar S/o Shri Thakurdas, R/o Village Jandali, Teh. Payal, Distt. Ludhiyana, Punjab Registered Owner Of Vehicle Truck No.rj 31-G-6939

----Respondent/Non Claimant No. 1

For Appellant(s)	:	Mr. Sandeep Pathak, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Deepak Khandelwal, Adv. Ms. Gauri Meena, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

12/03/2026

अपीलार्थी बीमा कंपनी (आगे "अपीलार्थी" कहा जावेगा) की ओर से यह अपील धारा 30 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (आगे "अधिनियम-1923" कहा जावेगा) के तहत विद्वान न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 टेंक द्वारा प्रकरण E.C.A/NF/56/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2016 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी/दावेदार को प्रत्यर्थी क्रम-2 के नियोजन के दौरान वाहन दुर्घटना में घायल होने पर



कुल 11,35,447 /—रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रतिकर दिलाया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी—बीमा कंपनी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी क्रम—2 का वाहन अपीलार्थी बीमा कंपनी के यहां बीमित था लेकिन प्रत्यर्थी क्रम—1 दावेदार बनवारी उपरोक्त वाहन मालिक के अधीन घटना के समय नियोजित हो, इस बाबत् लेशमात्र पत्रावली पर साक्ष्य नहीं आई है, ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नियोक्ता व कर्मचारी के संबंध होने के संबंध में जो अभिमत दिया गया है, वह अनुचित व मनमाना है और इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से एक तर्क यह भी दिया गया कि आहत नियोजन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो, इस बाबत् भी पत्रावली पर आवश्यक साक्ष्य नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक निर्णय Shantabai Ananda Jagtap & anr. Vs. Jayram Ganpati Jagtap & anr. (2023) 8 SCC 171 प्रस्तुत किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी—दावेदार की ओर से North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि घटना के समय दावेदार प्रत्यर्थी क्रम—2 के अधीन उसके वाहन पर खलासी था, इस बाबत् दावेदार की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। उनका यह भी निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियों में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं है और इस कारण से “अधिनियम—1923” की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (Supra) सुसंगत है, जिसके पैरा संख्या—9, 10, 11 व 12 निम्नानुसार हैं:—



9. At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.

10. The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.

11. The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.

12. In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह स्पष्ट है कि नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध तथ्यों का विषय है और जब तक इस बिंदु पर दिया गया निष्कर्ष मनमाना, अनुचित या आधारहीन नहीं हो, तब तक विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं होना माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक



निर्णय Shantabai Ananda Jagtap & anr. Vs. Jayram Ganapati Jagtap & anr. (पूर्वोक्त) में भी यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि क्लेम याचिका तभी पोषणीय हो सकती है, जब दावेदार व विपक्षी के बीच कर्मचारी व नियोक्ता का संबंध प्रमाणित होता हो।

उपरोक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों के ससम्मान अवलोकन से स्पष्ट है कि नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध यदि नियोजनकाल के दौरान दुर्घटना होने आदि के विषय तथ्यों से संबंधित हैं और उस पर यदि विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध सामग्री व साक्ष्य पर विचार कर निष्कर्ष दिया गया है तथा जब तक ऐसा निष्कर्ष मनमाना या अनुचित नहीं हो, साक्ष्य का पुनः विवेचन करते हुए अपास्त किया जाना अनुज्ञेय नहीं है।

वर्तमान मामले में प्रार्थी द्वारा अपनी मौखिक सशपथ कथनों में यह कथन किया है कि वह घटना के समय उपरोक्त वाहन स्वामी विपक्षी के यहां खलासी के रूप में नियोजित था और उस समय दुर्घटना होने के तथ्य को अन्य गवाह फारूख खान द्वारा भी प्रमाणित किया है। यह बात सही है कि नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति आदेश, सैलेरी स्लिप या अन्य कोई लिखित दस्तावेज पेश नहीं हुए हैं परंतु इस प्रकार के मामले में सामान्य रूप से ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष साक्ष्य के अभाव में हो अथवा महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज कर पारित किया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में इस निष्कर्ष व अपीलाधीन निर्णय को अनुचित, अवैध अथवा मनमाना नहीं कहा जा सकता।

उपरोक्त परिस्थितियों में विधि का कोई सारवान प्रश्न इस मामले में अन्तर्वलित नहीं है, इस प्रकार न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित व्यवस्था तथा “अधिनियम-1923” की धारा-30 के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।



2026:RJ-JP:10516



[2026:RJ-JP:10516]

[CMA-260/2017]

परिणामतः अपीलार्थी—बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.07.2016 की पुष्टि की जाती है। स्थगन आवेदन व अन्य आवेदन, यदि कोई लंबित हों, तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

विचारण न्यायालय का अभिलेख, यदि प्राप्त हो रखा है, तो इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /17